

# राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम,

यातायात (लेखा) विभाग, मुख्यालय, जयपुर।

क्रमांक एफ.4/मु./याता/लेखा (162)/2016/482 दिनांक:- 28-10-16

कार्यालय-आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक एफ.4/मु./याता/लेखा (162)/2016/446 दिनांक 3.10.2016 के द्वारा वातानुकूलित सुपर लग्जरी जयपुर दिल्ली मार्ग पर अखिल भारतीय अनुज्ञा पत्रों पर संचालित सेवाओं का रु.755/- प्रति यात्री किराया राशि (सभी अधिभार एवं शुल्क सहित) निर्धारित किया गया है। इस पर नियमानुसार सर्विस टैक्स पृथक से वसूली योग्य है को वर्तमान प्रभावी दिनांक 30.11.2016 से दिनांक 31.3.2017 तक वृद्धिकृत कर प्रभावी किया जाता है।

उक्त आदेश माननीय प्रबन्ध निदेशक महोदय के अनुमोदन पश्चात जारी किए जा रहे हैं।

(सोहन लाल धानका)

कार्यकारी निदेशक (यातायात)

क्रमांक एफ-4/मु./याता/लेखा(162)/2016/482 दिनांक :- 28-10-16

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक ,माननीय यातायात मंत्री ,राजस्थान सरकार जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक ,माननीय यातायात राज्य मंत्री, राजस्थान सरकार जयपुर।
3. आयुक्त एवं प्रमुख शासन सचिव, परिवहन विभाग ,राजस्थान सरकार,जयपुर।
4. निजी सचिव, अध्यक्ष / प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान परिवहन निगम, मुख्यालय जयपुर
5. समस्त विभागाध्यक्ष ( ) राजस्थान परिवहन निगम, मुख्यालय जयपुर
6. समस्त महा प्रबन्धक, /संयुक्त महा प्रबन्धक( )राज0 परिवहन निगम, मु0 जयपुर
7. निगम सचिव रा0 परि0 निगम मु0 जयपुर।
8. उप महा प्रबन्धक(सांख्यिकी/बजट/टिकिट/अंकेक्षण )राज0 परि0 नि0, मु0 जयपुर।
9. उप महा प्रबन्धक(आई.टी.). राजस्थान परिवहन निगम, मुख्यालय जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि वर्णित आदेश वेबसाईट पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करावे। तथा कम्प्यूटर एवम् आई.टी.आई.एम. में आवश्यक संशोधन कराना सुनिश्चित करावें
10. कार्यकारी प्रबन्धक ,(जनसम्पर्क) रा.प.नि.मुख्यालय जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि इसका प्रचार -प्रसार करावे।
11. सहा0.लेखाधिकारी,( टिकिट/अंकेक्षण ) /कार्यकारी प्रबन्धक .....राजस्थान परिवहन निगम मुख्यालय जयपुर।
12. मुख्य प्रबन्धक ,डीलकत आगार /सी.वी.एस. आगार जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि जयपुर -देहली उक्त सेवाओं के संचालन प्ररिणामों की सतत मोनिटरिंग की जावे, सकल राजस्व में वृद्धि के प्रयास किये जावे एवं पाक्षिक समीक्षा रिपोर्ट मुख्यालय को प्रेषित करेंगे।
13. समस्त मुख्य प्रबन्धक, /प्रबन्धक.( वित्त )राज0 परि0 निगम.....आगार।
14. कन्ट्रोल रूम ,मुख्यालय, जयपुर
15. आदेश पत्रावली।

(कमल किशोर पारीक)  
कार्यकारी प्रबन्धक (यातायात)

F72050  
2/11/16